(14)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–कबीरधाम

ज्ञापन

क्रमांक एफ–01 / 01 / विविध / सां.लि. / 2021 / 7973 कवर्धा, दिनांक 24.11.2021

प्रति,

1. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम
2. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला कबीरधाम
3. सहायक संचालक, जनसंपर्क, जिला कबीरधाम
4. सर्व तहसीलदार, जिला कबीरधाम
5. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला कबीरधाम
6. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला कबीरधाम

विषय – माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, पुलिस जवाबदेही का प्रचार–प्रसार एवं बैठक कर सामान्य जन तक सूचना बाबत्।

संदर्भ – उप सचिव, छ.ग. राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार, रायपुर (छ.ग.) से प्राप्त पत्र कमांक / क्यू. / प्र. / जवा. / 2021 रायपुर दिनांक 02.11.2021

----00----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, पुलिस जवाबदेही का प्रचार–प्रसार एवं बैठक कर सामान्य जन तक सूचना के हैं। संदर्भित पत्र में पुलिस जवाबदेही के कर्तव्यों को प्रपत्र दस्तावेज के अनुसार लोक सामान्य तक प्रचार–प्रसार करने प्रपत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में निम्नानुसार विभाग उनके सम्मुख दिए गए कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

क्रं.	विभाग का नाम	रिमार्क
1	कार्यालय, पुलिस अधीक्षक	1. लोक सामान्य में दस्तावेज के प्रचार–प्रसार हेतु 2. जिले के सभी थाना एवं चौकी में चस्पा हेतु
2	जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी	जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
3	सहायक संचालक, जनसंपर्क	जिले के दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु
4	तहसीलदार	ग्रामों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने हेतु
5	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत भवनों में चस्पा किए जाने हेतु
6	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगरीय निकायों में लाऊडस्पीकर के माध्यम से मुनादी हेतु

संलग्न – उपर्युक्तानुसार

24.11.21

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम

पृ.क्रमांक एफ–01 / 01 / विविध / सां.लि. / 2021 / 7974 कवर्धा, दिनांक 24.11.2021

प्रतिलिपि–

उप सचिव, छ.ग. राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार, रायपुर (छ.ग.), स्टेट गेस्ट हाऊस "पहुना" के पीछे, केनाल रोड, शांतिनगर, रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।

24.11.21

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम

3423
16-11-2021

कार्यालय छ0ग0 राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार, रायपुर (छ.ग.)

// ज्ञापन //

क्रमांक / क्यू. / प्र. / जवा. / 2021 /

रायपुर, दिनांक 02/11/2021

कार्यालय कलेक्टर, कबीरधाम
शाखा प्रभारी SW
12 NOV 2021
अधीक्षक
जिला कार्यालय, कबीरधाम

प्रति,

कलेक्टर
कबीरधाम, छ.ग.

विषय :— माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, पुलिस जवाबदेही का प्रचार–प्रसार एवं बैठक कर सामान्य जन तक सूचना बाबत्।

---000---

अनुरोध है कि, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, पुलिस जवाबदेही का वर्ष 2013 में संरचना की गई है।

02. यह कि, पुलिस जवाबदेही के कर्तव्यों को संलग्न प्रपत्र दस्तावेज के अनुसार लोक सामान्य तक प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें। ताकि पीड़ित पक्षकार को राहत व न्याय प्राप्त होने में असुविधा न हो।

कृपया इसे प्राथमिकता देकर, कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न :— प्रपत्र दस्तावेज ...... नग।

(ओ.पी. सिंह)
उप सचिव
छ0ग0 राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार
रायपुर (छ.ग.)

छ.ग. राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार

पुलिस अधिनियम 2007 की
धारा 38 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार
का गठन किया गया है,
जो 23 अप्रैल 2013 से कार्यरत है ।

कार्य

(1) किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा किया गया कोई असद्भावनापूर्व कार्य या कार्य लोप जिसका परिणाम निम्न हो या निम्नांकित श्रेणी में आये—

पुलिस अभिरक्षा में—

(क) मृत्यु, अथवा

(ख) बलात्कार अथवा बलात्कार का प्रयास, अथवा

(ग) गंभीर उपहति

से संबंधित पीड़ित अथवा पीड़ित के नजदीकी रिश्तेदार द्वारा शिकायत करने पर जांच कर शासन को कार्यवाही हेतु अनुशंसा करना ।

(2) ऐसे अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे ।

कार्य करने हेतु प्राधिकार का दायरा

01. घटना दिनांक के 06 माह के अन्दर शिकायत प्राप्त होने पर ।

02. शपथ पत्र के द्वारा समर्थित शिकायत प्राप्त होने पर ।

03. सभी कुछ दायरा में होते हुए भी उन शिकायतों की जांच प्राधिकार नहीं करेगा जो मानव अधिकार आयोग अथवा जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जांच के विषयवस्तु हो या न्यायालय में विचाराधीन हो ।

छ.ग.राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार कार्यालय

स्टेट गेस्ट हाऊस 'पहुना' के पीछे, केनाल रोड,
शांतिनगर, रायपुर (छ.ग.)

फैक्स नं. : 0771-2429854